सुधीर एम0 बोबडे,
आई0ए0एस0,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अत्यन्त महत्वपूर्ण /व्यवस्थापन–2010–11
कार्यालय 2642999 निवास 2622073
अर्द्ध शासकीय पत्रांकः **19772** /दस–लाइसेंस–367(खण्ड–2)/आबकारी नीति/2010–11
दिनांकःइलाहाबाद : **मार्च, 03** ::2010

प्रिय महोदय,

शासन के आदेश सं0 601 ई–2/तेरह–2010–10/2010/दिनांक 26–02–2010 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा वर्ष 2010–11 में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आबकारी नीति की घोषणा की गयी है, जो निम्नानुसार हैः–

1— वर्ष 2009–10 की आबकारी नीति के प्रस्तर–4.1(2) में उल्लिखित इस प्राविधान कि **"यदि अनुज्ञापी चाहें तो वह आगामी वर्ष 2010–11 या उसके भाग के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण या उसके अवधि का विस्तारीकरण ऐसे निबंधन और शर्तो पर करा सकता है, जो यथा समय राज्य सरकार द्वारा विनिश्चत किये जायेंगे,** के दृष्टिगत विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स के व्यवस्थापन की वर्ष 2009–10 में प्रभावी की गयी व्यवस्था को यथावत रखते हुये वर्ष 2010–11 में आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से कराया जायेगा। इसी प्रकार अन्य जोनों में भी वर्ष 2010–11 में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से कराया जाएगा। नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक व जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किये जाने के उपरान्त जिलाधिकारी से आदेश प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय। नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का व्यवस्थापन आवेदन मांग कर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा।

2— <u>देशी शराबः–</u>

(1) **<u>प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्कः–</u>**

वर्ष 2010–11 के लिये देशी शराब की फुटकर दुकानों के नवीनीकरण/लाटरी से व्यवस्थापन हेतु प्रोसेसिंग फीस वर्ष 2009–10 की भांति यथावत रू0 3000 प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की गयी है।

वर्ष 2008–09 के नवीनीकरण शुल्क में रू0 5000 की वृद्धि करते हुए वर्ष 2010–11 के लिये नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया गया हैः–

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	20,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	10,000 प्रति दुकान

(2) **<u>देशी शराब का एम.जी.क्यू.:–</u>**

वर्ष 2010–11 में दुकानों के सुगम एवं समयान्तर्गत व्यवस्थापन तथा राजस्व हित में जनपद के वर्ष 2009–10 के वार्षिक व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 में 3 प्रतिशत की वृद्धि करके जनपद का वर्ष 2010–11 का एम0जी0क्यू0 निर्धारित किया जायेगा।

(3) **<u>देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीसः–</u>**

वर्ष 2009–10 के लिए निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस रू0 20 प्रति लीटर में रू 01/– की वृद्धि करते हुये वर्ष 2010–11 के लिये रु0 21/– प्रति लीटर बेसिक लाइसेंस फीस निर्धारित की गयी है।

(4) **<u>देशी शराब की लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस):–</u>**

वर्ष 2009–10 के लिए निर्धारित प्रतिफल फीस रू0 108/– प्रति लीटर (36 प्रतिशत वी/वी) में रू 22/– की वृद्धि करते हुये वर्ष 2010–11 के लिये रु0 130/– प्रति लीटर (36 प्रतिशत वी/वी) निर्धारित की गई है।

(5) **देशी शराब की दुकानों का व्यवस्थापनः–**

देशी शराब की वर्ष 2009–10 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्तमान अनुज्ञापियों के चाहने पर उनके पक्ष में वर्ष 2010–11 के लिये निम्न प्रतिबंधों के साथ अनुमन्य किया गया है :–

1– फरवरी–2010 तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2009–10 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये तत्पर हों।

4– वर्ष 2009–10 के जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. (जिसमें 1 अप्रैल के बाद व्यवस्थित दुकानों के एम.जी.क्यू. में व्ययगत अवधि के एम.जी.क्यू. के बराबर कम किये गये एम.जी.क्यू. को जोड़ते हुए वार्षिक एम.जी.क्यू. सम्मिलित होगा) में 3 प्रतिशत की वृद्वि कर वर्ष 2010–11 के लिए जनपद का एम. जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा। इस वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू. को नवसृजित दुकानों पर नियमानुसार निर्धारित मात्रा में समायोजित करने के बाद यदि एम.जी.क्यू. अवशेष बचता है, तो उसको जनपद की पूर्व से संचालित हो रही दुकानों के एम.जी.क्यू. में समानुपातिक वृद्धि करते हुए समस्त दुकानों पर विभाजित किया जायेगा। यदि किसी जनपद में निर्धारित एम0जी0क्यू0 वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू. नवसृजित की जा रही दुकानों के लिये नियमानुसार निर्धारित हो रहे एम0जी0क्यू0 से कम होगा, तो ऐसे जनपद का एम0जी0क्यू0 नवसृजित दुकानों के एम0जी0क्यू0 की सीमा तक बढ़ा कर निर्धारित किया जा सकेगा, भले ही जनपद के वर्ष 2009–10 के वार्षिक व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 में 3 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाय। उपरोक्तानुसार वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. को दुकानवार/ क्षेत्रवार आबकारी निरीक्षकों द्वारा, दुकानवार/क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान हेतु एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निम्न उल्लिखित प्रस्तर–2(7) में दी गई प्रक्रियानुसार निर्धारित एम.जी.क्यू. पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

6– वर्ष 2009–10 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2009–10 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2009–10 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. से कम का आफर स्वीकार नहीं होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

7– विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के वर्तमान अनुज्ञापी को जोन की समस्त देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2010–11 हेतु नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं निर्धारित एम.जी.क्यू. के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का नवीनीकरण न कराये जाने एवं उपरोक्तानुसार नवसृजित दुकानों हेतु नियमानुसार अनुज्ञापन प्राप्त न करने की दशा में विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

8– विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के जनपद रामपुर की देशी शराब की तीन दुकानें नवाबगंज, रहटगंज व दढियाल रिट याचिका सं0 2756/2009 नीलम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–03–2009 के अनुसार व्यवस्थित होंगी।

(6) देशी शराब की श्रेणियां, गुणवत्ता एवं मूल्य निर्धारणः–

वर्ष 2009–10 में देशी शराब की निम्नानुसार तीन श्रेणियां प्रचलित हैः–

1–25% वी/वी (सादा/मसाला)

2–36% वी/वी (मसाला)

3–42.8% वी/वी (मसाला)

उक्त श्रेणियों को वर्ष 2010–11 में यथावत रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के लिए कैप्सूल एवं लेबुलों के बार्डर के रंग गतवर्ष की भॅति ही निम्नानुसार रहेंगे :–

कमांक	मद	ढक्कन का रंग	लेबुलों के बार्डर का रंग
1	2	3	4
1	25% वी/वी (सादा/मसाला)	हरा	हरा
2	36% वी/वी (मसाला)	नीला	नीला
3	42.% वी/वी (मसाला)	लाल	लाल

लेबुलों हेतु वर्ष 2009–10 में लागू प्रतिबन्ध वर्ष 2010–11 के लिए भी यथावत प्रभावी रहेंगे।

उक्त तीनों श्रेणियों के विभिन्न धारिताओं की अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य वर्ष 2010–11 के लिए निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैः–

देशी शराब –सादा/ मसालेदार (25% वी/वी में)

अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य (वर्ष 2010–11 के लिए)

कम सं0	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	180	140	100	240	525	1100
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	88.95	46.75	25.92	23.76	18.94	14.64	30.52	63.42	126.92
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	113.00	58.00	32.00	29.00	23.00	18.00	38.00	80.00	165.00

देशी शराब –मसालेदार (तीव्र) (36% वी/वी में)

अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य (वर्ष 2010–11 के लिए)

कम सं0	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	180	140	100	240	525	1100
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	123.61	64.08	35.17	32.08	25.41	19.26	41.61	87.68	177.75
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	158.00	80.00	44.00	40.00	32.00	24.00	53.00	110.00	227.00

देशी शराब –मसालेदार (तीव्र) (42.8% वी/वी में)

अधिकतम थोक/फुटकर विक्रय मूल्य (वर्ष 2010–11 के लिए)

कम सं0	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	180	140	100	240	525	1100
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	144.99	74.77	40.87	37.21	29.40	22.11	48.85	102.65	209.11
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	184.00	95.00	51.00	47.00	37.00	28.00	61.00	130.00	268.00

(7) **देशी शराब की दुकानों का सृजनः–**

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 मे भी 15 प्रतिशत नई दुकानों का सृजन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 से कराया जा सकेगा।

वर्ष 2010–11 हेतु सभी निकायों में देशी शराब की नवसृजित दुकान का एम.जी.क्यू. निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :–

कम सं0	दुकान की प्रास्थित	वर्ष 2009–10 में निर्धारित एम.जी.क्यू. ब0ली में	वर्ष 2010–11 में निर्धारित एम.जी. क्यू. ब0ली में
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	17000	17000
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	12000	12000
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	7000	7000
4	ग्रामीण	3500	3500

उपरोक्त एम.जी.क्यू. में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत पूर्व परिपत्रों एवं अग्रेतर निर्गत परिपत्रों के आधार पर दुकान की प्रास्थिति एवं निकटवर्ती दुकानों के एम.जी.क्यू. के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त न्यूनतम एम.जी.क्यू. में युक्ति–युक्ति वृद्धि करके निर्धारित करने के लिए लाइसेंस प्राधिकारी सक्षम होंगे। इन नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

(8) **देशी शराब की थोक आपूर्तिः–**

वर्ष 2009–10 में प्रचलित किये गये देशी शराब के थोक आपूर्ति हेतु सी0एल0–1बी व सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों को वर्ष 2010–11 में भी यथावत बनाये रखते हुये वर्ष 2010–11 के लिए नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। अनुज्ञापनों की नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

(क) सी0एल0–1बी अनुज्ञापन हेतु देयताएं :–

नवीनीकरण फीस	रु0 2 लाख
लाइसेंस फीस	रु0 8.80 करोड़ प्रति अनुज्ञापन। इस लाइसेंस फीस की अदायगी निम्नानुसार करायी जाएगीः–
आवेदन स्वीकृति के समय	रु0 3.00 करोड़
दिनांक 30.06.10 तक	रु0 3.00 करोड़
दिनांक 30.09.10 तक	रु0 2.80 करोड़

प्रतिभूति धनराशि नवीनीकरण हेतु आवेदन के समय रु0 88 लाख प्रति अनुज्ञापन बैंक ड्राफ्ट के रुप में लिया जायेगा।

वर्तमान सी0एल0–1बी अनुज्ञापी द्वारा अनुज्ञापन का नवीनीकरण न कराये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुज्ञापन का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

(ख) सी0एल0–1सी अनुज्ञापनः–

नवीनीकरण फीस	रु0 10000 प्रति अनुज्ञापन
लाइसेंस फीस	रु0 1.10 लाख प्रति अनुज्ञापन
प्रतिभूति धनराशि	रु0 11000 प्रति अनुज्ञापन

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी सी0एल0–1सी अनुज्ञापी प्रदेश की विभिन्न अनुज्ञाधारी देशी मदिरा निर्माता आसवनियों से सीधे मदिरा प्राप्त करेगा। प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति की कठिनाई की स्थिति में यह अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से देशी मदिरा आयात कर सकेगा। प्रदेश में आयात की जाने वाली ऐसी मदिरा पर आयातकर्ता अनुज्ञाधारी द्वारा प्रतिफल फीस का अग्रिम भुगतान कर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय में स्थित सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई से वर्ष 2009–10 की भांति सुरक्षा होलोग्राम प्राप्त कर संबंधित आसवनी ले जाकर बोतलों पर चस्पा कराया जाएगा। इस प्रकार सुरक्षा होलोग्राम युक्त मदिरा का आयात ही वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में प्रदेश में अनुमन्य होगा।

(9) **देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन फीसः–**

वर्ष 2010–11 हेतु देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन, 2009–10 की भॉति रू0 10000/– प्रति ब्राण्ड निर्धारित की गयी है।

(10) **देशी शराब के लेबुलों का अनुमोदनः–**

देशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर वर्ष 2009–10 की भॉति वर्ष 2010–11 में भी बैच नम्बर व निर्माण की तिथि एवं आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित लीजेण्ड पूर्ववत् अंकित करना अनिवार्य रखे जाने के साथ लेबुलों के अनुमोदन हेतु प्रति लेबुल वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी लेबुल अनुमोदन फीस रु0 10000/– प्रति लेबुल देय होगी। वर्ष 2009–10 में लेबुलों पर मदिरा के विक्रय जोन का नाम अंकित किये जाने की व्यवस्था को, आसवनियों में जोनवार मदिरा के संग्रहण की कठिनाइयों को दृष्टिगत करते हुये समाप्त कर दिया गया है।

(11) **<u>देशी शराब निर्यात पास फीसः–</u>**

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी देशी मदिरा की निर्यात पास फीस रु0 10/– प्रति ए0एल0 यथावत रहेगी।

(12) **<u>देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–</u>**

देशी शराब की फुटकर दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक प्रतिफल फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। सामान्यतः आगामी वर्ष 2010–11 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाए, परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2010–11 के लिये निर्धारित दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाएगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(13) **<u>देशी शराब की आपूर्तिः–</u>**

वर्ष 2010–11 में देशी मदिरा की आपूर्ति, वर्ष 2009–10 की भॉति, सभी निर्धारित धारिताओं में बाजार की मांग के अनुसार कांच/पेट बोतलों में की जायेगी।

3– <u>विदेशी मदिरा–</u>

(1) **<u>विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस :–</u>**

विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस के निर्धारण हेतु वर्ष 2009–10 में प्रचलित व्यवस्था वर्ष 2010–11 में भी यथावत् रहेगी। आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा वर्ष 2010–11 हेतु **रु0 26 प्रति बोतल अधिभार निर्धारित किया जाता है। किसी भी विदेशी मदिरा दुकान के उपरोक्तानुसार उपभोग को निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस में से, जो अधिक होगी,** वह वर्ष 2010–11 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित होगी।

(2) **<u>विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–</u>**

विदेशी मदिरा की वर्ष 2009–10 में संचालित दुकानों का नवीनीकरण, वर्तमान अनुज्ञापियों के चाहने पर उनके पक्ष में वर्ष 2010–11 में निम्न प्रतिबंधों के साथ अनुमन्य किया गया है :–

1– फरवरी–2010 तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2009–10 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा।

5– वर्ष 2009–10 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के वर्तमान अनुज्ञापी को जोन की समस्त विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2010–11 हेतु नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का नवीनीकरण न कराये जाने एवं उपरोक्तानुसार नवसृजित दुकानों हेतु नियमानुसार अनुज्ञापन प्राप्त न

करने की दशा में विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त विदेशी मदिरा के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार कराया जायेगा।

(3) विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण शुल्क :–

विदेशी मदिरा की प्रोसेंसिंग फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में यथावत रू0 3000 प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की गयी है।

वर्ष 2010–11 के लिए निकायवार निर्धारित नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित की गई हैः–

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	17,500 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	8,000 प्रति दुकान

(4) विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजनः–

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी 15 प्रतिशत तक नई दुकानों का सृजन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर से तथा 15 प्रतिशत से अधिक की मांग होने पर शासन की स्वीकृति से दुकानों का सृजन किया जायेगा।

विदेशी मदिरा की नवसृजित दुकानों की लाइसेंस फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

कम सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	6,40,000/–
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	2,15,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	1,00,000/–
4	ग्रामीण	50,000/–

उपरोक्त नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन (विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन को छोड़कर) सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा। विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में समय–समय पर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दैनिक लाइसेंस फीसः–

वर्तमान में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । सामान्यतः आगामी वर्ष 2010–11 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाएगा, परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2010–11 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाएगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(6) विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीसः–

वर्ष 2009–10 में विदेशी मदिरा की एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर 13 श्रेणियॉ निर्धारित हैं। इन्हें वर्ष 2010–11 में यथावत बनाये रखते हुये इन श्रेणियों की प्रतिफल फीस की दरें वर्ष 2010–11 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

एक्स आसवनी मूल्य (750 एम.एल. प्रति बोतल) (रु0 में)		श्रेणी		वर्ष 2009–10 में निर्धारित प्रतिफल फीस		वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस		प्रति लीटर बृद्धि
				प्रति लीटर	प्रति बोतल	प्रति लीटर	प्रति बोतल	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	0 से 25/– तक	चीप (सस्ती)	GGG	170.00	127.50	170.00	127.50	...
2.	25/– से अधिक 30/– तक	मीडियम बीटा	FFB	180.00	135.00	180.00	135.00	...
3.	30/– से अधिक 40/– तक	मीडियम अल्फा	FFA	200.00	150.00	200.00	150.00	...
4.	40/– से अधिक 50/– तक	रेगुलर बीटा	EEB	210.00	157.50	210.00	157.50	...
5.	50/– से अधिक 60/– तक	रेगुलर अल्फा	EEA	230.00	172.50	230.00	172.50	...
6.	60/– से अधिक 80/– तक	सेमी प्रीमियम बीटा	DDB	260.00	195.00	260.00	195.00	...
7.	80/– से अधिक 100/– तक	सेमी प्रीमियम अल्फा	DDA	300.00	225.00	300.00	225.00	...
8.	100/– से अधिक 130/– तक	प्रीमियम बीटा	CCB	340.00	255.00	340.00	255.00	...
9.	130/–से अधिक 170/– तक	प्रीमियम अल्फा	CCA	380.00	285.00	380.00	285.00	...
10.	170/–से अधिक 230/– तक	सुपर प्रीमियम बीटा	BBB	490.00	367.50	510.00	382.50	20
11.	230/–से अधिक 290/– तक	सुपर प्रीमियम अल्फा	BBA	500.00	375.00	520.00	390.00	20
12.	290/– से अधिक 500/– तक	स्काच बीटा	AAB	620.00	465.00	640.00	480.00	20
13.	500/– से अधिक	स्काच अल्फा	AAA	640.00	480.00	660.00	490.00	20

(7) **विदेशी मदिरा की एम0आर0पी0 :–**

विदेशी मदिरा के निर्माता/ बाण्ड धारक इकाई द्वारा घोषित एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर प्रतिफल फीस को सम्मिलित करते हुए विदेशी मदिरा की एम0आर0पी0 गत वर्षों की भॉति वर्ष 2010–11 में निम्न फार्मूले के आधार पर आगणित/निर्धारित की जायेगी :–

एक्स आसवनी/एक्स बाण्ड/एक्स सी.एस.डी. मूल्य प्रति बोतल 750 एम.एल. (रु0 में) (X)	सुरक्षा होलोग्राम की श्रेणी	प्रतिफल फीस प्रति लीटर (रु0 में)	प्रतिफल फीस प्रति बोतल (750 मि0ली0) (रु0 में0) (D)	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	फुटकर बिक्रेता का मार्जिन	अधिकतम फुटकर मूल्य (P)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 से 25/– तक	GGG	170.00	127.50	D+1.1 X	1.1 X	D+2.2 X
25/– से अधिक 30/– तक	FFB	180.00	135.00	D+1.1 X	1.1 X	D+2.2 X
30/– से अधिक 40/– तक	FFA	200.00	150.00	D+1.05 X	1.05 X	D+2.1 X
40/– से अधिक 50/– तक	EEB	210.00	157.50	D+1.05 X	0.95 X	D+2.0 X
50/– से अधिक 60/– तक	EEA	230.00	172.50	D+1.05 X	0.85 X	D+1.9 X
60/– से अधिक 80/– तक	DDB	260.00	195.00	D+1.05 X	0.75 X	D+1.8 X
80/– से अधिक 100/– तक	DDA	300.00	225.00	D+1.05 X	0.75 X	D+1.8 X
100/– से अधिक 130/– तक	CCB	340.00	255.00	D+1.05 X	0.65 X	D+1.7 X
130/–से अधिक 170/– तक	CCA	380.00	285.00	D+1.05 X	0.55 X	D+1.6 X
170/–से अधिक 230/– तक	BBB	510.00	382.50	D+1.05 X	0.35 X	D+1.4 X
230/–से अधिक 290/– तक	BBA	520.00	390.00	D+1.05 X	0.35 X	D+1.4 X
290/– से अधिक 500/– तक	AAB	640.00	480.00	D+1.05 X	0.25 X	D+1.3 X
500/– से अधिक	AAA	660.00	490.00	D+1.05 X	0.25 X	D+1.3 X

उपरोक्त सूत्र से मूल्य निर्धारण हेतु वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी, बोतल, लेबुल व पी.पी. कैप के मूल्यों का अधिभार, बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में अधिक पड़ने को दृष्टिगत, 375 एम0एल0 की धारिता

में रु0 3/– तथा अन्य धारिताओं यथा 180 एम0एल0, 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 के मूल्य निर्धारण में रु0 5/– बोतल (750 एम0एल0) की एम.आर.पी. निर्धारण के लिए प्रस्तावित एक्स आसवनी मूल्य में बढ़ाकर किया जाएगा।

(8) विदेशी मदिरा की थोक आपूर्तिः–

(क) वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों के माध्यम से कराया जाना अनुमन्य किया गया है। एफ0एल0–2 अनुज्ञापन का शुल्क भी गतवर्ष की भांति जनपद में फुटकर अनुज्ञापनों से जनवरी–2010 तक की वास्तविक बिक्री से आगणित बोतलों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः–

क्रम संख्या	जनपद में वर्ष 2009–10 में फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या	लाइसेन्स फीस (रूपये में)
1	7,00,000 बोतलों तक	5.00 लाख
2	7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	10.00 लाख
3	15,00,000 से 25,00,000 लाख बोतल तक	20.00 लाख
4	25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	30.00 लाख
5	30,00,000 बोतल से अधिक	40.00 लाख

(ख) विदेशी मदिरा का ई0एन0ए0 से निर्माणः–

वर्ष 2009–10 की भॉति वर्ष 2010–11 में भी विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई0एन0ए0 से कराने की व्यवस्था यथावत प्रभावी रहेगी।

(ग) एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्कः–

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी एफ0एल0–2बी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्क रु0 5.00 लाख तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 50.0 हजार यथावत रहेगा।

(घ) एफ0एल0–2डी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्कः–

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में उक्त अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रू0 50,000 तथा प्रतिभूति धनराशि रू0 10.0 हजार यथावत रहेगा।

(9) सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस :–

वर्ष 2009–10 की भॉति वर्ष 2010–11 में सी0एस0डी0 को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीस सिविल में अनुमन्य प्रतिफल फीस की आधी प्रतिफल फीस आरोपण की व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

(10) भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–

वर्ष 2009–10 की भॉति वर्ष 2010–11 में विदेशी मदिरा के ब्राण्डों की रजिस्ट्रेशन फीस रू0 35,000/– प्रति ब्राण्ड यथावत रहेगी। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा है कि यदि कोई निर्माता अपने ब्राण्ड का पंजीयन वर्ष 2010–11 में वर्ष 2009–10 के सापेक्ष निम्न श्रेणी में कराता है और इससे वर्ष 2009–10 के सापेक्ष प्रतिफल फीस कम निर्धारित होती है, तो पूर्व वर्ष व चलित वर्ष के पंजीकरण श्रेणी की प्रतिफल फीस में, जो अधिक होगी, वह देय/निर्धारित होगी।

(11) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस प्रति ब्राण्ड रु0 20,000/– यथावत् रहेगी।

(12) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम0आर0पी0 अंकित किये जाने का प्राविधान :–

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी एम0आर0पी0 अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

(13) <u>विदेशी मदिरा (एफ0एल0–2ए):–</u>

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी विदेशी मदिरा के एफ0एल0–2ए (सी0एस0डी0) की लाइसेंस फीस रू0 2500/– यथावत् रहेगी।

(14) <u>एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए:–</u>

वर्ष 2009–10 में एफ0एल0–1/एफ0एल0–1ए की लाइसेंस फीस रू 3,50,000/– एवं प्रतिभूति धनराशि रु0 35000/– प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है। इसे वर्ष 2010–11 में भी यथावत रखा गया है।

(15) <u>बी0डब्लू0एफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस:–</u>

बी0डब्लू0 एफ0एल0–2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2009–10 की भांति 2010–11 में निम्नानुसार यथावत रहेगी :–

अनुज्ञापन का प्रकार	लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
BWFL-2A	5.00	3.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की बिक्री हेतु।
BWFL-2B	3.50	1.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की बिक्री हेतु।
BWFL-2C	0.50	0.25	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की बिक्री हेतु।
BWFL-2D	0.25	0.10	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की बिक्री हेतु।

(16) <u>विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस:–</u>

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस रू0 20,000/– प्रति लेबुल यथावत रहेगी।

(17) <u>विदेशी मदिरा की आयात अनुज्ञा पत्र फीस:–</u>

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा की आयात फीस 4/– रूपये प्रति लीटर तथा विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलेट्री कैन्टीन या सी0एस0डी0 लाइसेंस धारी को छोड़कर) रु0 3/– प्रति बल्क लीटर अनुज्ञा प्रतिफल फीस यथावत् रहेगी।

(18) <u>विदेशी मदिरा की निर्यात फीस (सिविल):–</u>

वर्ष 2009–10 की भॉति वर्ष 2010–11 में विदेशी मदिरा पर निर्यात फीस रु0 5/– प्रति बल्क ली0 तथा बोतलों में रु0 2.67/– प्रति ए0एल0 यथावत रहेगी।

<u>**(19)** विदेशी मदिरा के 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 की धारिता में आपूर्ति :–</u>

वर्ष 2009–10 की भॉति वर्ष 2010–11 में 0 से 80 एक्स आसवनी मूल्य तक की श्रेणियों में 90 एम0एल0 की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। अर्थात सेमी प्रीमियम अल्फा व उससे ऊपर की श्रेणियों में ही 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों की बिक्री अनुमन्य होगी। साथ ही 90 एम0एल0 धारिता की बिक्री हेतु शीशे के साथ–साथ "सिरोंग पैक" भी अनुमन्य होगा। वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में सुपर प्रीमियम व स्काच श्रेणियों में 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिक्री अनुमन्य रहेगी।

(20) <u>अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस :–</u>

वर्ष 2009–10 हेतु स्काच बीटा एवं स्काच अल्फा श्रेणियों की प्रतिफल फीस में रू0 20/– प्रति लीटर की वृद्धि करते हुए वर्ष 2010–11 में इक्वलप्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस निम्नानुसार निर्धारित होगी :–

<u>एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य</u>	<u>परमिट फीस</u>
रु0 0 से 500 तक	रु0 640 प्रति लीटर
रु0 500 से अधिक	रु0 660 प्रति लीटर

4– वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय–

(1) भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क :–

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में वाइन पर आयात शुल्क रू0 3/– प्रति लीटर यथावत रहेगी।

(2) भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस :–

वर्ष 2009–10 में वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम् रू0 66.66 प्रति लीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो निर्धारित है। यह वर्ष 2010–11 में यथावत रहेगी।

(3) अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस :–

वर्ष 2009–10 में अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस रू0 66.66 प्रतिलीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो निर्धारित है। यह वर्ष 2010–11 में यथावत रहेगी।

(4) अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किया जाना :–

अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किये जाने का प्राविधान वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी यथावत रहेगा।

(5) **अन्य देशों से आयातित वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः–**

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में आयातित वाइन के ब्राण्डों के रजिस्ट्रेशन हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस रू0 20,000/– प्रति ब्राण्ड यथावत् रहेगा।

(6) **भारतीय वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–**

वाइन की ब्रान्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2009–10 में रू0 5000/– एवं लेबुल अनुमोदन भी रू0 5000/– निर्धारित है। यह वर्ष 2010–11 में भी यथावत रहेगी।

(7) **वाइन की बिक्री :–**

वाइन की बिक्री वर्ष 2009–10 की ही भॉति वर्ष 2010–11 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से किया जाना अनुमन्य रहेगी।

(8) **कम तीव्रता के मादक पेय की बिक्री :–**

वर्ष 2009–10 में सेना के अधिकारियों को एफ0एल0–9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की बिक्री अनुमन्य की गयी थी। यह व्यवस्था वर्ष 2010–11 में यथावत रहेगी।

(9) **कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः–**

कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन फीस वर्ष 2009–10 में क्रमशः 3000/– व 5000/– प्रतिब्राण्ड/लेबुल निर्धारित है। यह वर्ष 2010–11 में यथावत रहेगी।

(10) **कम तीव्रता के मादक पेय , ऐल, पोर्ट, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर पर प्रतिफल फीस :–**

उपरोक्त मादकों पर गतवर्षो में बीयर की भांति ही प्रतिफल फीस ली जाती रही है। यह व्यवस्था वर्ष 2010–11 में भी यथावत रहेगी।

5– बार अनुज्ञापन–

(1) **बार/क्लब लाइसेंस :–**

वर्ष 2010–11 में सभी श्रेणी के बार अनुज्ञापनों की लाइसेन्स फीस गत वर्ष भॉति यथावत रहेगी। साथ ही वर्ष 2009–10 में प्रभावी की गयी निम्न व्यवस्थाएं वर्ष 2010–11 में भी यथावत रहेंगी :–

(i) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा की प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलें भी होटल के कमरों में उपभोग हेतु मानक मदिरा की उपलब्धता की दृष्टि से अनुमन्य रहेंगी।

(ii) वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में बार अनुज्ञापनों पर बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, केन पैक सहित, ड्राफ्ट बीयर की बिक्री भी अनुमन्य रहेगी।

(iii) वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में बार अनुज्ञापनों पर वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की बिक्री अनुमन्य रहेगी।

(iv) स्टार होटलों के सभी कमरों में तथा नान स्टार होटलों के केवल सभी ए.सी. कमरों में मिनी बार की व्यवस्था हेतु क्रमशः रु0 1.00 लाख व 50 हजार की अतिरिक्त वार्षिक लाइसेंस फीस लेकर अनुमन्य किया जाए।

(v) होटलों में मदिरा पीने के लिए अनुमन्य बार रुम एवं होटल कें कमरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों यथा कानफ्रेन्स रुम, वैंकेटहाल, स्वीमिंग पूल व अन्य किसी स्थल पर रु0 50 हजार प्रत्येक की अतिरिक्त वार्षिक फीस पर अधिकतम 5 अतिरिक्त स्थलों की सीमा के साथ मदिरा पान की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। स्टार होटलों के लिये यह फीस रू0 1.00 लाख प्रति अतिरिक्त स्थान वार्षिक होगी।

(2) **बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि :–**

वर्ष 2009–10 में सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में 12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे निर्धारित है। साथ ही नगर निगम वाले नगरों तथा गौतमबुद्वनगर में स्थित बारों को **एक लाख पच्चीस हजार रुपये** अतिरिक्त फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार से विक्रय अनुमन्य है। यह व्यवस्था वर्ष 2010–11 में भी यथावत रहेगी।

6– बीयर

(1) बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीसः–

बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस के निर्धारण हेतु वर्ष 2009–10 में प्रचलित व्यवस्था, वर्ष 2010–11 में भी यथावत् रहेगी। आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा वर्ष 2010–11 हेतु रु0 5 प्रति बोतल अधिभार निर्धारित किया जाता है। किसी भी बीयर दुकान के उपभोग को उपरोक्तानुसार निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस में से जो अधिक हो, को वर्ष 2010–11 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।

(2) **बीयर की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–**

बीयर की वर्ष 2009–10 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्तमान अनुज्ञापियों के चाहने पर उनके पक्ष में वर्ष 2010–11 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगा :–

1– फरवरी–2010 तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2009–10 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।

5– वर्ष 2009–10 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के वर्तमान अनुज्ञापी को जोन की समस्त बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2010–11 हेतु नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का नवीनीकरण न कराये जाने एवं उपरोक्तानुसार नवसृजित दुकानों हेतु नियमानुसार अनुज्ञापन प्राप्त न करने की दशा में विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निस्तीकरण योग्य

होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त बीयर के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(3) **बीयर की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण :–**

बीयर की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रोसेसिंग फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में यथावत रू0 3000 प्रति आवेदन पत्र ली जायेगी।

वर्ष 2010–11 के लिए निकायवार निर्धारित नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् हैः–

क्रमांक	निकाय	र्व्ष 2010–11 के लिए निर्धारित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	17,500 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	8,000 प्रति दुकान

(4) **बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजनः–**

वर्ष 2010–11 में भी गतवर्ष की भांति आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को 25 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार है। 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जाएगा।

बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए गतवर्ष की भांति ही वर्ष 2010–11 हेतु निम्ननुसार लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी :–

कम सं0	**दुकान की प्रास्थित**	**वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस**
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	1,60,000/–
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	80,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	40,000/–
4	ग्रामीण	38,000/–

बीयर की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायगा। इस संबंध में समय–समय पर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जावे।

(5) **बीयर की प्रतिफल फीसः–**

बीयर की प्रतिफल फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी निम्नानुसार यथावत् रहेगी :–

कमांक	**बीयर का प्रकार**	**प्रतिफल फीस (प्रति बोतल)**
1	0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक तीव्रता की माइल्ड बियर	18.50/– प्रति बोतल (650 एम0एल0) या 28.46 प्रति लीटर
2	5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक तीव्रता की स्ट्रांग बियर	32.00/– प्रति बोतल (650 एम0एल0) या 49.23 प्रति लीटर

(6) बीयर की थोक लाइसेंस फीस :–

बीयर की थोक आपूर्ति की व्यवस्था प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर 3.(8) (विदेशी मदिरा की थोक आपूर्ति) के अनुसार रहेगी।

(7) अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :–

वर्ष 2010–11 में ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2009–10 की भांति भी रू0 10,000/– प्रति ब्राण्ड यथावत रहेगी।

(8) अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीसः–

वर्ष 2010–11 में अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस वर्ष 2009–10 भॉति निम्नानुसार यथावत रहेगी :–

(क) 5 प्रतिशत वी/वी तक रु0 20/– (650 एम0एल0 प्रति बोतल)

(ख) 5 प्रतिशत वी/वी से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तक रु0 35/– (650 एम0एल0 प्रति बोतल)

(9) भारत निर्मित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :–

वर्ष 2010–11 में बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2009–10 की भांति रु0 12000/– प्रति ब्राण्ड यथावत रहेगी।

(10) बीयर की एम0आर0पी0 :–

बीयर का निर्माता/बाण्डधारक इकाई बीयर एम0आर0पी0 स्वतः घोषित करती है, और इस घोषित एम0आर0पी0 को ही अनुमोदित किया जाता है। यह प्रकिया को वर्ष 2010–11 में भी वर्ष 2009–10 की भांति यथावत रहेगी।

(11) बीयर व एल0ए0बी0 का निर्यात शुल्कः–

वर्ष 2009–10 में बीयर का निर्यात शुल्क रू0 1/– प्रति ब0ली0, व कम तीव्रता के मादक पेय का निर्यात शुल्क रू0 1/– प्रति ब0ली0 निर्धारित है। यह वर्ष 2010–11 में यथावत रहेगा।

(12) बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्कः–

वर्ष 2009–10 में बीयर, पोर्टर, साइडर, एल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रू0 2/– प्रति लीटर है तथा फ्लेश पाश्चुराइजेशन की प्रकिया से निर्मित तथा लगभग 30 दिन की "शेल्फ लाइफ" वाली ड्राफ्ट बीयर पर आयात शुल्क रू0 1/– प्रति लीटर निर्धारित है। यह वर्ष वर्ष 2010–11 में यथावत रहेगा।

(13) बीयर के लेबुलों का अनुमोदन :–

वर्ष 2010–11 में बीयर के लेबुलों का अनुमोदन फीस वर्ष 2009–10 की भॉति ु रू0 5000/–प्रति लेबुल यथावत रहेगी।

(14) बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–

बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। सामान्यतः वर्ष 2010–11 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जायेगा, परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद वर्ष 2010–11 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाएगा । दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

7– माडल शाप

(1) **माडल शाप की लाइसेंस फीसः–**

माडल शाप की लाइसेंस फीस के निर्धारण के लिए वर्ष 2009–10 में निम्न व्यवस्था प्रभावी हैः–

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. महानगरों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	22 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	1.00 लाख
2. अन्य नगरों के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	8 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 22 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	1.00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त मदिरा पान की फीस रु0 50000 भी देय हैं। उपरोक्त व्यवस्था वर्ष 2010–11 में भी यथावत् रहेगी।

(2) **माडल शाप्स का व्यवस्थापनः–**

वर्ष 2009–10 में संचालित माडल शाप्स का नवीनीकरण, वर्तमान अनुज्ञापियों के चाहने पर उनके पक्ष में वर्ष 2010–11 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगा :–

1– फरवरी–2010 तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।
2– वर्ष 2009–10 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।
3– वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये तत्पर हों।
4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी माडल शाप्स को वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी माडल शाप पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो माडल शाप का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में माडल शाप का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित माडल शाप्स का व्यवस्थापन भी निर्धारित लाइसेंस फीस पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जाएगा।
5– वर्ष 2009–10 में संचालित हो रही माडल शाप्स के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।
6– विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के वर्तमान अनुज्ञापी को जोन की समस्त माडल शाप्स के अनुज्ञापन वर्ष 2010–11 हेतु नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी माडल शाप्स का नवीनीकरण न कराये जाने एवं उपरोक्तानुसार नवसृजित माडल शाप्स हेतु नियमानुसार अनुज्ञापन प्राप्त न करने की दशा में विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन के माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(3) **माडल शाप्स का प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरणः–**

माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु प्रोसेंसिंग फीस वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में यथावत रू0 5,000 प्रति आवेदन पत्र ली जायेगी।

पूर्व वर्षो में माडल शाप का नवीनीकरण निशुल्क किया जाता रहा है, जबकि विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों का नवीनीकरण सशुल्क किया जाता रहा है। अस्तु एकरुपता की दृष्टि से वर्ष 2010–11 में माडल शाप्स का नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :–

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2010–11 के लिए निर्धारित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	30,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	22,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	6,000 प्रति दुकान

(4) **माडल शाप्स का सृजन–**

वर्ष 2010–11 के लिए 15 प्रतिशत तक माडल शाप का सृजन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा। 15 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जाएगा।

8– भांग

(1) **भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापनः–**

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2009–10 की भॉति वर्ष 2010–11 में भी उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार किया जायेगा। भांग के लिये निर्धारित एम.जी.क्यू. पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी । एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त भांग

की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/– प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस देय होगी । वर्ष 2010–11 हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों हेतु निर्धारित भांग के एम0जी0क्यू0 का विवरण **संलग्नक–2 है।**

(2) **भांग के निर्यात पर निर्यात फीसः–**

वर्ष 2009–10 की भांति वर्ष 2010–11 में भी भांग के निर्यात पर रु0 4/– प्रति किलो की दर से निर्यात फीस देय होगी।

9– **अन्य–**

(1) **देशी शराब का ई0एन0ए0 से निर्माणः–**

जनस्वास्थ्य व गुणवत्ता पूर्ण देशी मदिरा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2010–11 में देशी शराब का निर्माण केवल ई0एन0ए0 से ही किया जायेगा। यदि देशी मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्योगिक आसवनी से ई0एन0ए0, देशी मदिरा निर्माण के लिए प्राप्त करेगी, तो इसी ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) आपूर्तक इकाई को आपूर्ति की गयी मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा की आपूर्ति ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) प्राप्त करने वाली आसवनी को देय आरक्षित शीरे की मात्रा से समायोजित करके उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) **पेय मदिरा को कब्जे में रखने की मात्रा–**

नागरिकों को अनावश्यक प्रताड़ना से सुरक्षित रखने की दृष्टि से मादकों को कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती हैः–

कम सं0	मादक का प्रकार	अधिकतम मात्रा
1	देशी शराब (मसाला)	1.5 लीटर प्रत्येक तीव्रता की अलग–अलग
2	देशी शराब (सादा)	1.5 लीटर प्रत्येक तीव्रता की अलग–अलग
3	विदेशी मदिरा (BII) (Bottled in India) / (IMFL) भारत निर्मित विदेशी मदिरा	6 लीटर, (व्हिस्की, ब्राण्डी,रम (व्हाइट रम सहित),जिन व बोदका)
4	विदेशी मदिरा (BIO) (Bottled in Origin) / आयातित विदेशी मदिरा (Overseas)	6 लीटर, (व्हिस्की, ब्राण्डी,रम (व्हाइट रम सहित), जिन व बोदका)
5	वाइन(BII)	03 लीटर
6	वाइन (BIO)	03 लीटर
7	बीयर(BII)	7.8 लीटर
8	बीयर(BIO)	7.8 लीटर
9	अन्य प्रकार की भारतीय/आयातित मदिरा (लिक्योर)	02 लीटर
10	कम तीव्रता के मादक पेय	06 लीटर

(3) **पेय मदिरा के अन्तर्राज्यीय अभिवहन की सीमा–**

भारत के अन्य राज्यों से प्रदेश में मदिरा की तस्करी को रोकने तथा राजस्व हित के दृष्टिगत सभी प्रकार की मदिरा के लिए एक ही प्रकार के मादक अर्थात (देशी शराब(मसाला)/देशी शराब(सादा)/विदेशी मदिरा/वाइन/बीयर में से किसी एक की) केवल एक बोतल खुली हुई अभिवहन करने की सीमा उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा अभिवहन) नियमावली–2003 की अनुसूची में रखी जायेगी।

प्रदेश में प्रवेश करने वाले निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों पर उपरोक्त प्रतिबंध नहीं होगाः–

1– अर्न्तदेशीय यात्रियों द्वारा (Central Excise & Customs) के नियमान्तर्गत अनुमन्य सीमा में लायी गयी आयाातित मदिरा।

2– भारतीय सेना एवं Armed Forces of the Union के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सुसंगत नियमों के अनुसार अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत परिवहन की जा सकने वाली मदिरा ।

उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को संबंधित अभिलेख/प्रमाण सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

(4) **<u>सशस्त्र सुरक्षा बल को श्रेणीवार निर्धारित प्रतिफल फीस में 50 प्रतिशत की छूट पर विदेशी मदिरा उपलब्ध कराया जाना :–</u>**

सशस्त्र सुरक्षा बल के उच्चाधिकारियों द्वारा लगातार भारत तिब्बत सीमा पुलिस की भांति सशस्त्र सुरक्षा बल को भी श्रेणीवार निर्धारित प्रतिफल फीस में 50 प्रतिशत की छूट पर विदेशी मदिरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जा रहा है। उनके अनुरोध को दृष्टिगत कर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की भांति सशस्त्र सुरक्षा बल को भी श्रेणीवार निर्धारित प्रतिफल फीस में 50 प्रतिशत की छूट पर विदेशी मदिरा की आपूर्ति हेतु थोक/फुटकर अनुज्ञापन प्रदान किये जायेंगे।

(5) **<u>पैन नं0 का प्रस्तुतीकरणः–</u>**

वर्ष 2009–10 की भांति मदिरा की दुकानों हेतु आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र में यह अभिकथन करना अनिवार्य होगा कि वह चयनित हो जाने पर 03 माह के अंदर आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड नं0 प्रस्तुत कर देंगे।

(6) **<u>विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारणः–</u>**

वर्ष 2009–10 की समाप्ति पर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, लो–अल्कोहलिक ब्रिवरेज तथा अन्य देशों से आयातित मदिरा के अविक्रीत स्टाक की घोषणा नियमानुसार की जायेगी तथा अवशेष स्टाक की सूचना दिनांक 05.04.2010 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी। इस अवशेष स्टाक के निस्तारण के सम्बन्ध में आदेश पृथक से यथा समय प्रसारित किये जायेंगे। वर्ष 2009–10 की समाप्ति के बाद अनुज्ञापियों द्वारा वर्ष 2010–11 में वर्ष 2009–10 की अवशेष देशी मदिरा की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की बिक्री किसी भी दशा में नहीं की जायेगी

(7)– वर्ष 2010–11 के लिये देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानो तथा माडल शाप्स के नवसृजन का विवरण **संलग्नक–1 है।**

(8) ताड़ी की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन एवं अभिकर :–

वर्ष 2010–11 में ताड़ी के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन ट्री–टैक्स/सरचार्ज प्रणाली व्यवस्था वर्ष 2009–10 की भॉति यथावत रहेगी।

(9) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की दुकानों के व्यवस्थापन एवं आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्तनुसार दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेगें।

(10) प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। वर्ष 2010–11 हेतु लाइसेंस फीस एवं सिक्योरिटी आदि के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि समय से जमा करायी जाय, तथा उसका सत्यापन जनपद के कोषागार से सामयिक रूप से कराया जाय।

(11) मदिरा की तस्करी एवं अवैध मद्य–निष्कर्षण को रोकने हेतु आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 में विशेष प्रयास किया जाए तथा इस निमित्त जनपदों में तैनात प्रवर्तन स्टाफ को विशेष रूप से सक्रिय किया जाए। पकड़े गए अभियोगों की मासिक समीक्षा कर उसकी रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाए।

(12) मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं0 1374(टैक्स)/2006 राम नाथ मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स के सार्वजनिक लाटरी से व्यवस्थापन के लिए प्राप्त धरोहर धनराशि के ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 36190–36260/दस–लाइसेंस–367/खण्ड–2/ आबकारी नीति/2008–09 दिनांक 15–12–07 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। साथ ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु प्रारुप पत्र निर्धारित करके प्रेषित किया गया हैं। उक्त पत्र द्वारा जारी प्रारुप पत्र के अनुसार ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी सुनिश्चित करायी जाय।

(13) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्रों का वितरण एवं सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की प्रक्रियाः–

वर्ष 2010–11 हेतु वाराणसी, आगरा एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) वर्ष 2010–11 में नवीनीकरण से अवशेष तथा वर्ष 2010–11 हेतु नवसृजित दुकानों के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा (बीयर व वाइन को छोड़कर) तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन आवेदन पत्र प्राप्त कर सार्वजनिक लाटरी प्रणाली द्वारा किया जायेगा। किसी दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सार्वजनिक लाटरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्देश निम्न प्रकार हैः–

(13.1) दुकानों के व्यवस्थापन हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के आवेदकों के लिए आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र आवेदकों को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय उप आबकारी आयुक्त, प्रभार कार्यालय, संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन कार्यालय एवं आबकारी आयुक्त, कार्यालय से रु0 3000/– (माडल शाप के लिए रु0 5000/–) प्रोसेसिंग फीस के रूप में नकद धनराशि के भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगे। वर्ष 2010–11 में आवदेन पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी जमा हो सकेंगे। आबकारी आयुक्त, कार्यालय में ऐसे आवेदन पत्रों को जमा होने की अन्तिम तिथि से एक दिन पूर्व तक ही जमा किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। विभाग द्वारा नियमानुसार निर्गत आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम व पता आवेदन पत्र पर तथा आवेदन पत्र के काउन्टर फाइल पर अंकित किया जायेगा, जिससे आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही उस आवेदन पत्र का उपयोग कर सके। आवेदन पत्र के प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र के मध्य परफोरेशन बिन्दुओं पर दाहिनी ओर बने ब्लाक में जिला आबकारी अधिकारी अथवा आवेदन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस प्रकार मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिससे मुहर व हस्ताक्षर प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र दोनों पर आंशिक रूप से आ जाये।

(13.2) आवेदन पत्र निर्गत करने के साथ ही निर्गतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक को देशी शराब की दुकानों हेतु दुकानवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों तथा माडल शाप्स हेतु लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। उपरोक्तानुसार सूचनाओं सहित जनपद की समस्त दुकानों के विवरण के पैम्फलेट/हैण्डबिल व शपथ–पत्र के प्रारूप पहले से ही छपवाकर/स्टेसिंल निकालकर रख लिये जायें तथा आवेदन पत्रों की बिक्री के समय ही आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।

(13.3) आवेदन पत्र जमा किये जाते समय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर्मचारी द्वारा पहले आवेदन पत्रों की जॉच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे गये हैं एवं उसके साथ आवश्यक संलग्नक (ड्राफ्ट शपथ–पत्र, पहचान हेतु प्रमाण आदि)लगे हुए हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की जॉच के पश्चात् सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इसका अंकन कमवार आवेदन पत्र प्राप्ति रजिस्टर में किया जायेगा और प्राप्ति रजिस्टर का कमांक आवेदन पत्र एवं प्राप्ति रसीद पर अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करके कार्यालय की मुहर लगायी जायेगी एवं उसे आवेदन पत्र से फाड़कर आवेदन पत्र जमाकर्ता को रसीद स्वरूप दे दिया जायेगा। यह प्राप्ति रसीद ही लाटरी के आयोजन स्थल पर प्रवेश हेतु गेट पास के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी व आवेदकों द्वारा यह प्राप्ति रसीद दिखाकर लाटरी आयोजन स्थल में प्रवेश किया जा सकेगा। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को लाटरी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(13.4) आवेदनकर्ता किसी दुकान के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र या पते के सत्यापन हेतु (1)पासपोर्ट (2) ड्राइविंग लाइसेंस (3) आयकर पहचान पत्र (4) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक (5) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि (6) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (7)पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्घावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश।

(8) रेलवे पहचान पत्र (9) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र (10) शस्त्र लाइसेंस (11) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। (12) मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेगा।

(13.5) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को दुकानवार छॉटकर उनकी अलग–अलग सूची तैयार की जायेगी व उन्हें दुकानवार तैयार की गयी पत्रावली में अनुरक्षित किया जायेगा। उचित होगा कि प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग फाइल कवर बना लिये जायें व उस दुकान हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को भी उन्हीं फाइलों में संरक्षित किया जाये।

(13.6) जिन दुकानों हेतु केवल एक आवेदन पत्र ही प्राप्त होता है, उन्हें आवेदक के पक्ष में व्यवस्थित किये जाने हेतु जिला लाइसेंसिंग समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(13.7) जिन दुकानों हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हों उनके लिए सार्वजनिक लाटरी निर्धारित तिथि को निकाली जायेगी। लाटरी हेतु जिस विशिष्ट दुकान को लिया जाये उसके लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूची के अनुसार अंकित क्रमांक, नाम व अन्य विवरण सहित लाटरी हाल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये और उनका संक्षिप्त विवरण यथा दुकान का नाम, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या आदि सार्वजनिक रूप से माइक पर उद्घोषित की जाय तथा आवेदकों को सभा कक्ष में आगे आने का अवसर दिया जाये ताकि वे लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्यवाही को भली–भॉति देख सकें व लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार/पण्डाल में कुछ ऊँचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाये कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, लाटरी की कार्यवाही को भली भॉति देख सकें।

(13.8) सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही कलेक्ट्रेट सभागार अथवा समुचित क्षमता के किसी अन्य सभागार में की जा सकती है। यदि उपयुक्त क्षमता का कोई सभागार अथवा उचित स्थान उपलब्ध न हो तो विशिष्ट परिस्थितियों में पण्डाल लगाकर यह कार्य किया जाये।

(13.9) सार्वजनिक लाटरी से पूर्व दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमों व निर्देशों को पढ़कर सार्वजनिक रूप से सुनाया जाये व सभी आवेदकों को मदिरा की दुकानों के संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत करा दिया जाये।

(13.10) मदिरा की दुकानों के व्यवस्थान हेतु सार्वजनिक लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित लाइसेंसिंग समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। सार्वजनिक लाटरी की समस्त कार्यवाही इस समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति व देख–रेख में की जायेगी। जिलाधिकारी इस कार्य में समिति की सहायतार्थ अपने विवेकानुसार उप जिलाधिकारियों अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारियों को लगा सकते हैं।

(13.11) सार्वजनिक लाटरी के स्थल पर समस्त आवेदकों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये व इस बात का पूर्ण प्रयास किये जाये कि लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही उस दुकान हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों की उपस्थिति में ही सम्पन्न हो, ताकि आवेदकों व जन सामान्य का लाटरी प्रकिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास रहे व किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके।

(13.12) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का लाटरी की पर्ची वाला भाग, जिस पर आवेदक का नाम व पता अंकित होगा एवं दुकान का नाम भी अंकित होगा, को लाटरी निकालने में प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार लाटरी के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली पर्चियॉ उतनी ही होंगी जितने प्रार्थना पत्र उस दुकान के लिए प्राप्त हुए हैं।

(13.13) जिस दुकान हेतु लाटरी निकाली जानी है, उसके लिये प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की तैयार की गयी सूची से पंजीयन संख्या के अनुसार दुकान के लिए प्राप्त कुल आवेदन–पत्रों की लाटरी हेतु पर्चियों को अलग करके

उन्हें क्रमशः विधिवत मोड़कर सार्वजनिक रूप से दिखाकर लाटरी के लिए निर्धारित किये गये पारदर्शी पात्र में इस प्रकार डाल दिया जायेगा, कि आवेदक आश्वस्त हो सकें कि सभी आवेदकों की पर्चियॉ पात्र में पड़ गयी हैं। पात्र में पर्चियॉ डाले जाने से पूर्व उक्त पात्र को उल्टा करके सभी व्यक्तियों को दिखाया जायेगा ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि पात्र में पहले से कोई पर्ची नहीं पड़ी है। यह पात्र मंच पर इस प्रकार रखा जायेगा कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, विशेषकर उस दुकान के आवेदक भली–भॉति देख सकें।

(13.14) जिलाधिकारी सभी आवेदकों की पर्चियों को पात्र में डालकर उसे पहले भली प्रकार मिला लेंगे तत्पश्चात् किसी व्यक्ति से एक पर्ची निकलवा लेंगे। जिस पंजीयन संख्या की पर्ची निकलेगी, उसे सार्वजनिक रूप से दिखाये जाने के पश्चात् उसी पंजीयन संख्या के आवेदनकर्ता के नाम दुकान आवंटित की जायेगी। एक ही व्यक्ति से बार–बार लाटरी की पर्चियां न निकलवायी जाय।

(13.15) लाटरी में चयनित व्यक्ति की लाटरी की पर्ची पर समिति के सदस्यों व पर्यवेक्षक (यदि कोई हो) के हस्ताक्षर के उपरान्त जी–14 पंजिका में दुकान का नाम अंकित कर उसके सामने उस लाटरी की पर्ची को चस्पा कर दिया जाये व पंजिका पर चयनित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराये जायें।

(13.16) जिस व्यक्ति को दुकान आवंटित की जाय, उसको मौके पर ही इस आशय का एक पत्र भी निर्गत किया जाये, कि अमुक दुकान की लाटरी उसके नाम से निकली है। पत्र में बिन्दु–9.5 के अनुसार लाइसेंस फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने के लिए निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में सफल आवेदक को दस दिन के अन्दर दुकान की चौहद्दी व अन्य विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप से निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जाये कि यदि लाटरी में सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती तो उसकी दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में राज्यसात कर ली जायेगी।

(13.17) सार्वजनिक लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण निष्पक्षता व पारदर्शिता बरती जाये।

(13.18) विज्ञापन एवं सार्वजनिक लाटरी की समस्त व्यवस्थाओं में पूर्ण मितव्ययिता बरती जाये।

(13.19) दुकानों के आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में करेक्टिंग फ्लूड का प्रयोग न किया जाय। यदि किसी संख्या/शब्द को परिवर्तित करना अपरिहार्य हो तो एक लाइन से काटकर परिवर्तित किया जाये तथा आवेदन कर्ता द्वारा कटिंग को प्रमाणित किया जाय। करेक्टिंग फ्लूड लगे आवेदन पत्रों पर आवंटन हेतु विचार न किया जाये।

(13.20) विदेशी मदिरा के उपभोग आगणन के सम्बन्ध में योजित पुनरीक्षण याचिका संख्या 30/2005 विवेक चौहान बनाम आबकारी आयुक्त व अन्य में शासन के निर्णय के अनुसार 4 पौवे जिसमें मात्र 720 एम0 एल0 होते हैं, को 750 एम0एल0 की बोतल न माना जाये अपितु 750 एम0एल0 होने पर ही एक बोतल की गणना अनुज्ञापन शुल्क के लिए उपभोग आगणित करने में की जाये। एम0डी0ओ0 में भी तदनुसार सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

(13.21) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की व्यवस्थापन की प्राख्यापित नियमावलियों में निहित प्राविधानानुसार समय से जी–12 ग व छः 12(क) विवरण पत्र भेजना सुनिश्चित किया जाये।

(13.22) देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के व्यवस्थापन एवं आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे ।

समय सारिणी

आगरा, वाराणसी एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन की समय सारिणीः–

कम संख्या	प्रथम चरण	दिनांक
1(i)	वर्ष 2010–11 की आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार वार्षिक व्यवस्थित व तद आधारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस / लाइसेंस फीस /प्रतिभूति धनराशि में वृद्वि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक व्यवस्थित (तद आधारित) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निर्धारित वृद्वि के साथ) बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना।	05.03.2010
(ii)	उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों व माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि एवं नवीनीकरण फीस का विवरण तैयार किया जाना।	
(iii)	उपरोक्त समस्त दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 06–03–2010 से दिनांक **16–03–2010** को अपरान्ह 13.00 बजे तक करने एवं भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन	
(iv)	**नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	**16.03.2010 के अपरान्ह में 15.00 बजे तक**
	द्वितीय चरण	
2(i)	उपरोक्तानुसार नवीनीकरण के पश्चात अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स तथा देशी शराब/विदेशी मदिरा, बीयर की नवसृजित दुकानों एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/ निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी प्रकिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए आवेदन पत्र मांगने एवं लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक **17–03–10** से प्रारम्भ कर दिनांक 22–03–10 को अपरान्ह 14.00 तक करने एवं सायं 17.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन।	**16.03.2010**
(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण।	**17.03.2010** से 22.03.2010 को अपरान्ह 14.00 बजे तक
(iii)	**प्रदेश की समस्त भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी (इसके पश्चात् यदि कोई तिथि निर्धारित करनी हो तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वंय नियत करेंगे)।**	18.03.2010
(iv)	आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि।	22.03.2010 को सायं 17.00 बजे तक
(v)	आवेदन पत्रों का परीक्षण।	23/24.03.2010
(vi)	सार्वजनिक लाटरी।	25.03.2010 को प्रातः 11.00 बजे से
	तृतीय चरण	
3(i)	उक्त प्रक्रिया के पश्चात अवशेष रही देशी शराब की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2009–10 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की वर्ष 2009–10 की लाइसेंस फीस पर आफर मांगकर व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति।	25.03.2010
(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण।	26.03.10 से 29.03.10 अपरान्ह 14.00 बजे तक
(iii)	आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि तथा आवदेन पत्रों का परीक्षण	29.03.10 को सायं 17.00 बजे तक
(iv)	आफर के आधार पर अनुज्ञापी का चयन/सार्वजनिक लाटरी।	30.03.2010 प्रातः 11.00 बजे से
(v)	अवशेष देशी शराब/विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की दुकानों एवं माडल शाप्स का दैनिक आधार पर व्यवस्थापन हेतु विज्ञापन।	30.03.2010
(vi)	दैनिक आधार पर दिनांक 01–04–2010 से दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही।	31.03.2010

विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में फुटकर आबकारी दुकानों के नवीनीकरण हेतु समय सारिणी

कमांक	तिथि	कार्यक्रम
1	05.03.2010– 12.03.2010 तक	अनुज्ञापी/अनुज्ञापियों द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तथा आवेदन पत्र के संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के आदेश/निर्णय की अवधि।

प्रत्येक जोन के सी0एल0–1बी/सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु समय–सारिणी

कमांक	तिथि	कार्यक्रम
1	05.03.2010 – 12.03.2010 तक	निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर नवीनीकरण आवेदन पत्र जमा करने तथा आवेदन पत्र के संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के आदेश/निर्णय की अवधि।

नोटः–

1– सी0एल0–1बी का अनुज्ञापी दिनांक 25–03–2010 तक निर्धारित नवीनीकरण फीस रू0 10,000/– लाइसेंस फीस रु0 1.10 लाख व प्रतिभूति धनराशि रु0 11 हजार जमा करके जोन के प्रत्येक जनपद हेतु सी0एल0–1सी अनुज्ञापन अनिवार्य रुप से प्राप्त करेगा।

2– यदि किसी कारणवश किसी निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो उस तिथि के लिए निर्धारित कार्य अगले तिथि में होंगे।

आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ सम्पन्न होगी व प्रदेश के आबकारी राजस्व में आशातीत वृद्धि हो सकेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवन्निष्ठ,

–ह0/–

(सुधीर एम0 बोबडे)

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 19773 – 19947/दस–लाइसेंस–367/खण्ड–2/सुझाव आबकारी नीति/2010–11/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ0प्र0।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपने स्तर से भी देशी शराब के एम0जी0क्यू0 व विदेशी मदिरा एवं बीयर के अनुज्ञापन फीस के आगणन का परीक्षण करा ले, जिससे किसी प्रकार की राजस्व क्षति सम्भव न हो सके।
6. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन)/प्रभारी अधिकारी, आसवनियॉ/बाण्ड धारक, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल।

–ह0/–

(सुधीर एम0 बोबडे)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।